

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :- सीता शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण नं० 77 / 2024

दायरा दिनांक 20.03.2024

गुरजीतसिंह पुत्र श्री सतनामसिंह जाति जटसिख निवासी 3 एल.एल.पी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

- वादी

बनाम

1. सतनामसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी भगवानगढ़ हाल आबाद 3 एल.एल.पी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सतिन्द्रसिंह पुत्र सतनामसिंह जाति जटसिख निवासी 3 एल.एल.पी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 आर.टी.ए.

उपस्थित :-

1. श्री जसवीरसिंह बराड़ एडवोकेट - वादी
2. श्री राहुल शर्मा एडवोकेट - प्रतिवादी नं 1 व 2



--: निर्णय :-

दिनांक :- 20.5.24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि प्रतिवादी नं. 1 के नाम से वाके चक 16 एस.टी.बी. के खाता सं. 67/58 के पत्थर नं. 45/313 (2) के किला नं. 1 ता 5/1.265 नहरी, 6/1 में 0.168 नहरी, 7/1 में 0.169 नहरी, 8/1 में 0.168 नहरी, 9/1 में 0.169 नहरी, 10/1 में 0.169 नहरी = 2.108 हैक्. नहरी व पत्थर नं. 45/316 (18) के किला नं. 1 ता 4/1.012 नहरी, 5/1 में 0.228 नहरी, 5/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता, 6/1 में 0.228 नहरी, 6/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता, 7-8/0.506 नहरी, 9/1 में 0.127 नहरी, 9/2 में 0.126 नहरी, 10 ता 14/1.265 नहरी, 15/1 में 0.228 नहरी, 15/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता, 16/1 में 0.228 नहरी, 16/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता, 17 ता 24/2.024 नहरी, 25/1 में 0.228 नहरी, 25/2 में 0.025 खाला = 6.325 हैक्. नहरी मय खाला व गै.मु.रास्ता इस प्रकार कुल 8.433 हैक्. (8.308 हैक्. नहरी व 0.100 हैक्. गै.मु.रास्ता व 0.025 हैक्. खाला) खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी के नाम की भूमि उसके पिता बलवंतसिंह पुत्र शेरसिंह व माता करतारकौर पत्नी बलवंतसिंह जो कि वादी के दादा/दादी है से विरास्तन प्राप्त रकबा है। इस वजह से उक्त भूमि में वादी का हिस्सा

लगातार पेज 2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(2)

कानूनी रूप से बनता है। उक्त जैर प्रकरण रकबा पैतृक रकबा है। प्रतिवादी नं. 1 के नाम से दर्ज है। वादी को प्रतिवादी नं. 2 को प्रतिवादी नं. 1 ने घरु बंटवारा अनुसार काशत हेतु रकबा काशत करने हेतु दे रखा है जो कि निम्न से पेश है व उसी अनुसार वादी व प्रतिवादी नं. 2 अपना अपना हक व हिस्सा लेना चाहते है। जबकि प्रतिवादी नं. 1 की पत्नी इन्द्रजीतकौर को पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि पति के जीवनकाल में पति के हिस्से में पत्नी का हिस्सा समाहित होता है व इन्द्रजीतकौर के नाम से पहले से ही इसी चक के खाता संख्या 68/59 के पत्थर नं. 46/316 (19) के किला नं. 1 ता 3/0.759 नहरी, 8 ता 12/1.265 नहरी, 19 ता 22/1.012 नहरी = 3.036 हैक्. नहरी में 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसलिये भी इन्द्रजीतकौर को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादी नं. 1 ने घरु बंटवारे अनुसार वादी व प्रतिवादी नं. 2 को निम्न से घरु बंटवारा अनुसार भूमि दी है :-

(क) वादी का घरु बंटवारा अनुसार कब्जा काशत भूमि :- वाके चक 16 एस.टी.बी. के खाता सं. 67/58 के पत्थर नं. 45/316 (18) के किला नं. 1 ता 4/1.012 नहरी, 6/1 में 0.228 नहरी, 6/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता, 7-8/0.506 नहरी, 9/1 में 0.127 नहरी, 9/2 में 0.126 नहरी, 10/0.253 नहरी, 11/0.253 नहरी में से 0.127 नहरी उत्तरी पासा, 12/0.253 नहरी में से 0.126 नहरी उत्तरी पासा, 13/0.253 नहरी में से 0.127 नहरी उत्तरी पासा, 14/0.253 नहरी में से 0.126 नहरी उत्तरी पासा, 15/1 में 0.228 नहरी में से 0.114 नहरी उत्तरी पासा, 15/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता में से 0.0125 गै.मु.रास्ता उत्तरी पासा = 2.9095 हैक्. नहरी मय गै. मु.रास्ता खातेदारी कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी नं. 2 को घरु बंटवारा अनुसार कब्जा काशत भूमि :- वाके चक 16 एस.टी.बी. के खाता सं. 67/58 के पत्थर नं. 45/316 (18) के किला नं. 11/0.253 नहरी में से 0.126 नहरी दक्षिणी पासा, 12/0.253 नहरी में से 0.127 नहरी दक्षिणी पासा, 13/0.253 नहरी में से 0.126 नहरी दक्षिणी पासा, 14/0.253 नहरी में से 0.127 नहरी दक्षिणी पासा, 15/1 में 0.228 नहरी में से 0.114 नहरी दक्षिणी पासा, 15/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता में से 0.0125 गै.मु.रास्ता दक्षिणी पासा, 16/1 में 0.228 नहरी, 16/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता, 17 ता 24/2.024 नहरी, 25/1 में 0.228 नहरी, 25/2 में 0.025 खाला = 3.1625 हैक्. नहरी मय खाला व गै.मु. रास्ता।

वादी व प्रतिवादी नं. 2 ने अपने हिस्सानुसार भूमि का बंटवारा प्रतिवादी नं. 1 से कर कब्जा काशत कर रखा है व इसी अनुसार अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहता है व खाता अलग अलग करवाना चाहते है। जिसके लिये वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे वादी वाद पत्र के माध्यम से अपना रकबा घोषित करवाने का पुरा पुरा हकदार है। दावा में प्रतिवादी नं. 1 व 2 के वकील साहब द्वारा सहमति देकर इकबाल जबाव दावा प्रस्तुत कर दिया है जिस वजह से जबाव स्टेट की आवश्यकता नहीं है। यह तथ्य प्रस्तुत किये। व वादी ने उपस्थित होकर ब्यान पेश किये। जो शामिल मिसल रहे। व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के साक्ष्य प्रतिवादी नं. 1 व 2 के वकील द्वारा प्रस्तुत होकर करवाये गये।

लगातार पेज 3 पर

जुगलकुमार अधिकारी
सुपरीम (राज.)



(3)

अधिवक्ता की बहस सुनी जाने के पश्चात पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित है कि वादी द्वारा वाके चक 2 एम.एन. डब्ल्यू.एम. के खाता सं. 29/14 के पत्थर नं. 95/331 (15) के किला नं. 1 ता 20/5.060 हैक्. कमाण्ड, 21/1 में 0.228, 22/1 में 0.228, 23/1 में 0.228, 24/1 में 0.228, 25/1 में 0.228 = 6.200 हैक्. कमाण्ड भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 2.986 हैक्. भूमि दिया जाना उचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये वादपत्र में वादी के कब्जा काश्त भूमि वाके चक 16 एस.टी.बी. के खाता सं. 67/58 के पत्थर नं. 45/316 (18) के किला नं. 1 ता 4/1.012 नहरी, 6/1 में 0.228 नहरी, 6/2 में 0.025 गै. मुरास्ता, 7-8/0.506 नहरी, 9/1 में 0.127 नहरी, 9/2 में 0.126 नहरी, 10/0.253 नहरी, 11/0.253 नहरी में से 0.127 नहरी उतरी पासा, 12/0.253 नहरी में से 0.126 नहरी उतरी पासा, 13/0.253 नहरी में से 0.127 नहरी उतरी पासा, 14/ 0.253 नहरी में से 0.126 नहरी उतरी पासा, 15/1 में 0.228 नहरी में से 0.114 नहरी उतरी पासा, 15/2 में 0.025 गै.मु. रास्ता में से 0.0125 गै.मु.रास्ता उतरी पासा = 2.9095 हैक्. नहरी मय गै.मु.रास्ता खातेदारी कृषि भूमि व प्रतिवादी नं. 2 के कब्जा काश्त की भूमि वाके चक 16 एस.टी.बी. के खाता सं. 67/58 के पत्थर नं. 45/316 (18) के किला नं. 11/0.253 नहरी में से 0.126 नहरी दक्षिणी पासा, 12/0.253 नहरी में से 0.127 नहरी दक्षिणी पासा, 13/0.253 नहरी में से 0.126 नहरी दक्षिणी पासा, 14/0.253 नहरी में से 0.127 नहरी दक्षिणी पासा, 15/1 में 0.228 नहरी में से 0.114 नहरी दक्षिणी पासा, 15/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता में से 0.0125 गै.मु.रास्ता दक्षिणी पासा, 16/1 में 0.228 नहरी, 16/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता, 17 ता 24/2.024 नहरी, 25/1 में 0.228 नहरी, 25/2 में 0.025 खाला = 3.1625 हैक्. नहरी मय खाला व गै.मु.रास्ता राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
एच. सुहायक जिलाधीन.
सूरतगढ़।

—: डिक्री ब मुकदमा इख्तादाई :-

(ओ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़

बड़जलास - सीता शर्मा आर.ए.एस.

गुरजीतसिंह पुत्र श्री सतनामसिंह जाति जटसिख निवासी 3 एल.एल.पी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

- वादी

बनाम

1. सतनामसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी भगवानगढ़ हाल आबाद 3 एल.एल.पी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सतिन्द्रसिंह पुत्र सतनामसिंह जाति जटसिख निवासी 3 एल.एल.पी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 आरटीए मुकदमा नं. 77/2024 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादी श्री जसवीरसिंह एडवोकेट व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के वकील श्री राहुल शर्मा के पेश होने पर हुकम दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :-
वाके चक 16 एस.टी.बी. के खाता सं. 67/58 के पत्थर नं. 45/313 (2) के किला नं. 1 ता 5/1.265 नहरी, 6/1 में 0.168 नहरी, 7/1 में 0.169 नहरी, 8/1 में 0.168 नहरी, 9/1 में 0.169 नहरी, 10/1 में 0.169 नहरी = 2.108 हैक्. नहरी व पत्थर नं. 45/316 (18) के किला नं. 1 ता 4/1.012 नहरी, 5/1 में 0.228 नहरी, 5/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता, 6/1 में 0.228 नहरी, 6/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता, 7-8/0.506 नहरी, 9/1 में 0.127 नहरी, 9/2 में 0.126 नहरी, 10 ता 14/1.265 नहरी, 15/1 में 0.228 नहरी, 15/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता, 16/1 में 0.228 नहरी, 16/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता, 17 ता 24/2.024 नहरी, 25/1 में 0.228 नहरी, 25/2 में 0.025 खाला = 6.325 हैक्. नहरी मय खाला व गै.मु.रास्ता इस प्रकार कुल 8.433 हैक्. (8.308 हैक्. नहरी व 0.100 हैक्. गै.मु.रास्ता व 0.025 हैक्. खाला) में से वादी के नाम वाके चक 16 एस.टी.बी. के खाता सं. 67/58 के पत्थर नं. 45/316 (18) के किला नं. 1 ता 4/1.012 नहरी, 6/1 में 0.228 नहरी, 6/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता, 7-8/0.506 नहरी, 9/1 में 0.127 नहरी, 9/2 में 0.126 नहरी, 10/0.253 नहरी, 11/0.253 नहरी में से 0.127 नहरी उतरी पासा, 12/0.253 नहरी में से 0.126 नहरी उतरी पासा, 13/0.253 नहरी में से 0.127 नहरी उतरी पासा, 14/0.253 नहरी में से 0.126 नहरी उतरी पासा, 15/1 में 0.228 नहरी में से 0.114 नहरी उतरी पासा, 15/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता में से 0.0125 गै.मु.रास्ता उतरी पासा = 2.9095 हैक्. नहरी मय गै.मु.रास्ता खातेदारी कृषि भूमि व प्रतिवादी नं. 02 के नाम वाके चक 16 एस.टी.बी. के खाता सं. 67/58 के पत्थर नं. 45/316 (18) के किला नं. 11/0.253 नहरी में से 0.126 नहरी दक्षिणी पासा, 12/0.253 नहरी में से 0.127 नहरी दक्षिणी पासा, 13/0.253 नहरी में से 0.126 नहरी दक्षिणी पासा, 14/0.253 नहरी में से 0.127 नहरी दक्षिणी पासा, 15/1 में 0.228 नहरी में से 0.114 नहरी दक्षिणी पासा, 15/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता में से 0.0125 गै.मु.रास्ता दक्षिणी पासा, 16/1 में 0.228 नहरी, 16/2 में 0.025 गै.मु.रास्ता, 17 ता 24/2.024 नहरी, 25/1 में 0.228 नहरी, 25/2 में 0.025 खाला = 3.1625 हैक्. नहरी मय खाला व गै.मु.रास्ता भूमि प्रतिवादी नं. 1 के नाम से कलमजन कर वादी व प्रतिवादी नं. 02 के नाम जोड़ा जाकर इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिया जाता है।

आज × मुबलिंग × बाबत् × खर्चा इस मुकदमें मय शूद्ध बशरह × कस्दो की पालना × आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २०-५-२५ को जारी की गयी।



20/5/24
(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)